रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 1980/आषाढ़ 26, 1902
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1980/ASADHA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1980

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 142-सीमा-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(क) "किसी यात्री द्वारा यात्री सामान के रूप में" शब्दों के स्थान पर "किसी यात्री या कर्मीदल के किसी सदस्य द्वारा यात्री—सामान के रूप में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "यात्री को" शब्दों के स्थान पर "ऐसे यात्री या सदस्य को" शब्द रखे जाएंगे ।

[संख्या 148-सी. शु./फा. सं. 495/92/79-सी. शु. VI]

एस. बसु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 142-Customs dated the 15th July, 1980, namely :—

In the said notification,—

(a) for the words "by a passenger as baggage", the words "by a passenger, or a member of the crew, as baggage" shall be substituted ;

(b) for the words "the passenger", the words "such passenger or member" shall be substituted.

[No. 148-Cus./F. No. 495/92/79-Cus. VI]

S. BASU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980